FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

साधूराम वगै0 बनाम भगवाना वगै0

किस्म मुकदमा:–दावा अ.धा. 53, 188 आर.टी.एक्ट   मुकदमा नम्बर:–132/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
13-08-2025	वादीगण की ओर से श्री कमल किशोर वर्मा, एड0 ने स्वंय उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वादपत्र में अंकित खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री झाबर सिंह भारणी एड0 ने कैवियट प्रार्थना पत्र पेशकर रखा है। प्रकरण में कैवियट पेशकर्त्ता अधिवक्ता व समस्त प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। वास्ते देखने तामील प्रतिवादीगण पत्रावली दिनांक 20.08.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
25.09.2025	दिनांक 20.08.2025 को इकजाई तारीख पेशी दिये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान् ने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। जिसके कारण उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर वादपत्र को इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः वकुलाय उ... के निवेदन पर उक्त वादपत्र को इसी ... किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शु... होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.29 13:01:51 IST
Reason: SelfAttested